नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो हुक्म की ता[illegible] में जारी हु[illegible]

[न्य]ायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
[पी]ठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
[मु]कदमा नम्बरः—97/2019 प्रार्थना पत्र
[श्री]ो देबीलाल पिता धूकल जाट, उम्र बालिग, निवासी कीरतपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
————प्रार्थी

बनाम

—श्री लक्ष्मण पिता धूकल जाट, उम्र बालिग निवासी किरतपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्री नारायण पिता भैरू जाट, उम्र बालिग निवासी किरतपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्री शंकर पिता भैरूलाल दरोगा, उम्र बालिग निवासी कोटड़ी भीलवाड़ा
—श्री शंकर पिता भागू जाट, उम्र बालिग निवासी किरतपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::   दिनांकः—6.5.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व [अ]धिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम किरतपुरा पटवार [ह]ल्का दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 169/1 रकबा 2 बीघा 10 [बि]स्वा, 170/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज [रि]कार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात [क]े सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण [प्र]ार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते [है]ं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 1.4.2019 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये [स]म्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। [ज]िसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 5 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे [दि]लाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.4.2019 को एक तरफा कार्यवाही [क]िये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा [ब]हस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त [क]ी आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय [स]ीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की [आ]राजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में [स]फल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के [त]हत स्वीकार किया जाकर ग्राम किरतपुरा पटवार हल्का दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित [ह]ाल आराजी नम्बर 169/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 170/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

बा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पांसल को 450/–रूपये (चार सौ पचास ये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। मिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये ने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner